<u>माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष</u>

दण्डादिक अपील सं. 801 / 2004

अपीलार्थी:

1. गिरीश चंद्र शर्मा, पिता स्वर्गीय आर.एस. शर्मा, आयु लगभग 42 वर्ष, व्यवसाय अधिवक्ता, निवासी – बैगा पारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
2. कु. नीता जैन, पुत्री श्री सज्जनमल बोथरा, आयु लगभग 38 वर्ष, व्यवसाय अधिवक्ता, निवासी – महावीर कॉलोनी, दुर्ग, तहसील _________, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जगदम्बा प्रसाद राय, पिता अज्ञात, आयु लगभग 48 वर्ष, पद – मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
2. प्रेम प्रकाश पांडेय, पिता श्री राम रतन पांडेय, आयु लगभग 48 वर्ष, व्यवसाय – राजनेता, वर्तमान पद – अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. प्रह्लाद कुमार तिवारी, पिता श्री डी.के. तिवारी, आयु लगभग 72 वर्ष, व्यवसाय – अधिवक्ता, निवासी – ब्राह्मण पारा, दुर्गा मंदिर, के सामने, दुर्ग, वर्तमान पद – सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. श्री एस.के. श्रीवास्तव, पिता अज्ञात, आयु लगभग 50 वर्ष, व्यवसाय – शासकीय सेवा, वर्तमान पद – मुख्य अभियोजन अधिकारी, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
5. आर.पी. शर्मा, पिता अज्ञात, आयु लगभग 53 वर्ष, व्यवसाय – शासकीय सेवा, वर्तमान पद – पुलिस अधीक्षक (अपर जिला अधीक्षक),

वर्तमान में पदस्थ – पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

6. राजीव पांडेय, पिता स्व. आर.पी. पांडेय, आयु लगभग **46** वर्ष, व्यवसाय – अधिवक्ता, वर्तमान पद – अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), निवासी – पद्मनाभपुर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

7. छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा – थाना/कोतवाली छावनी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा **341** दं.प्र.सं,**1973**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दंडादिक अपील सं. **801 / 2004**

गिरीश चंद्र शर्मा एवं एक अन्य

बनाम

जगदम्बा राय एवं अन्य

आदेश

दिनांक: **03/12/2004** को सुचित किया जाए

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दण्डादिक अपील सं. **801 / 2004**

गिरीश चंद्र शर्मा एवं एक अन्य

बनाम

जगदम्बा राय एवं अन्य

श्री संतोष यादव, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थति।
अपीलकर्ता क्रमांक 1 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
श्री प्रमोद वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थति।
प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
श्री एम.डी. धोते, प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थति।
श्री वाई.सी. शर्मा, प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थति।
श्री अजय श्रीवास्तव, प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थति।
श्री अवध त्रिपाठी, प्रतिवादी क्रमांक 6 की ओर से उपस्थति।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

पक्षकारों के विधिक परामर्शदाताओं की सुनवाई की गई।

2. इस अपील को अपीलकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 के अंतर्गत, सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा विशेष दंडादिक प्रकरण क्रमांक 32/2004 में दिनांक 27.08.2004 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

3. विद्वान सलाहकार— श्री धोते, श्री शर्मा, श्री श्रीवास्तव तथा श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अपील का अपील का ज्ञापन उचित रूप से शब्दांकित नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपील का ज्ञापन में प्रयुक्त भाषा कुछ स्थलों पर कलंकात्मक, एवं तंग करनेवाला है।

4. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता एवं अपीलकर्ता क्रमांक 1, जो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, ने प्रस्तुत किया कि उन्हें न्यायालय के प्रति अत्यंत सम्मान है। उनका किसी से कोई व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं है। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और वे खेद प्रकट करते हैं। यह कहा गया कि वे उक्त मामले को वापस लेना चाहते हैं। इसके लिए अपीलकर्ता को एक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। उक्त आवेदन प्रस्तुत

कर दिया गया है और उसकी प्रति अन्य पक्ष को प्रदान की गई है। प्रकरण को आग्रह पर सुनवाई हेतु लिया गया और तर्क सुने गए।

5. अपील स्मरण–पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को नाम एवं पदनाम सहित पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। उन्हें पक्षकार बनाना अनुचित है एवं उनका नाम विलोपित किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 एक अधिवक्ता हैं एवं राज्य अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं। विवरण प्रस्तुत करने हेतु उनकी सदस्यता दिखाई गई है, जो आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 4 अभियोजन अधिकारी हैं। उन्हें नाम से पक्षकार बनाया गया है जबकि उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थिति दी थी। प्रतिवादी क्रमांक 6 को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 7 अर्थात मुख्य सचिव को भी अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है, जबकि उनका इस विषय से कोई संबंध नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. यह स्पष्ट है कि पक्षकारों को संबंधित प्रावधानों की उचित समीक्षा के बिना ही संशोधित किया है। इसके लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। पक्षकारों को विधि के अनुरूप ही संशोधित किया जाना चाहिए।

7. यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्यपाल का नाम भी गवाह के रूप में उल्लिखित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लेख करना सुसंगत है, जो राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं राजप्रमुखों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी व्यवस्था निम्न प्रकार से है:

अनुच्छेद 361 –– राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राजप्रमुखों का संरक्षण

राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख, का संरक्षण

> (1) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने हेतु तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा:परंतु राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा अनुच्छेद 61 के अधीन किसी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या पदाभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा की जा सकेगी:आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि

> वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करती है।
>
> (2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
>
> (3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश उसके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।
>
> (4) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही, जिसमें अनुतोष का दावा किया गया हो, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में उसके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने का तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में, चाहे वह राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो, तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यवाही की प्रकृति, उसके लिए वाद का हेतुक, उस पक्षकार का नाम, विवरण और निवास स्थान जिसके द्वारा ऐसी कार्यवाही संस्थित की जानी है तथा वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है, बताते हुए लिखित सूचना, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास की समाप्ति न हो जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भले ही कुछ दस्तावेज़ या कुछ तथ्य स्थापित करने हेतु रिकॉर्ड की आवश्यकता हो, राज्यपाल को साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए था। यदि कोई दस्तावेज़ आवश्यक हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।

8.ये सभी प्रश्न तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब अपीलकर्ता स्वयं अधिवक्ता हों। अत्यधिक सावधानी की आवश्यक है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अध्याय–II में निम्नलिखित अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है:

> एक अधिवक्ता को सदैव ऐसे आचरण करना चाहिए जो न्यायालय के अधिकारी, समुदाय के एक विशेष सदस्य और एक सज्जन व्यक्ति के रूप में

> उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो; यह ध्यान में रखते हुए कि जो आचरण किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वैध और नैतिक हो सकता है जो बार का सदस्य नहीं है, या संघ के सदस्य के लिए उसकी गैर–पेशेवर स्थिति में उचित हो सकता है, वह फिर भी एक अधिवक्ता के लिए अनुचित हो सकता है।

–

9. अपीलार्थियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अधिवक्ता हैं और संघ के सदस्य के रूप में नामांकित हैं। संघ का यह कर्तव्य है कि वह निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह न्यायाधीशों एवं न्यायालय के अधिकारियों, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजक भी शामिल हैं, को भयभीत करे। अधिवक्ता का कर्तव्य यह भी है कि वह न्यायालय के अधिकारियों को डराने–धमकाने की प्रवृत्ति में लिप्त न हो। उनका मुख्य कर्तव्य न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना है। केवल तभी संघ की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि संघ स्वयं न्यायाधीशों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा। एक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनके सहयोगियों को, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अभियुक्त की तरह कटघरे में खड़ा करना वास्तव में एक वकील द्वारा की गई भयभीत करने हेतु की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ए.के. सिंह बनाम वीरेन्द्र कुमार जैन, 2001 (2) एमपीजेआर 15 में प्रकाशित है, निम्नलिखित रूप में अवधारित किया गया है:

> न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि सबसे निचले स्तर और श्रेणी के न्यायाधीश भी बिना किसी डर, उत्पीड़न या भय के कार्य कर सकें। किसी अधिवकता द्वारा मजिस्ट्रेट के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर शिकायत करना और उसे विवरण हेतु के कटघरे में खड़ा करना वास्तव में एक प्रकार का भयभीत करने वाला कार्य है। यह प्रशिक्षण करने वाले न्यायाधीश का कर्तव्य है कि उसके अधीनस्थ न्यायसंगत रूप से कार्य करें, परंतु साथ ही वे निर्भय होकर कार्य करें और संघ के किसी बेईमान सदस्य या उनके समक्ष उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति के डर से लगातार भय में न रहें।यदि किसी प्रथम स्तर के न्यायाधीश केवल विधी की अज्ञानता, लापरवाही या जानबूझकर ऐसे अधिनस्थ न्यायाधीशों को उत्पीड़न या डराने–धमकाने की स्थिति में डालने की अनुमति देते हैं, तो पूरी न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती है और न्याय प्रशासन को बड़ा खतरा होता है। यह पूरे प्रणाली की

बदनामी करता है और संबंधित न्यायाधीश को दोनों स्तरों की मजाक का पात्र बना देता है।

11. लीलाधर बौरासी बनाम शिवमोहन सिंह परिहार 1993 (1) एमपीजेआर 336 मैं प्रकाशित हैं के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उक्त विषय पर किया गया है, जिसमें न्यायिक कार्य के निर्वहन के दौरान किए गए कृत्य से संबंधित एक न्यायाधीश के विरुद्ध की गई शिकायत को जिसमें आपत्तिजनक और अपमानजनक आरोप थे, न्यायालय ने विधीकी प्रक्रिया का दुरुपयोग" माना।

–

12. न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम की धारा 3 भी इस सन्दर्भ में प्रासंगिक है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

3. न्यायाधीशों को अतिरिक्त संरक्षण –

> (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या था, कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा, जो उसके द्वारा अपने पदीय या न्यायिक कर्तव्य या कृत्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्यित होने के दौरान किए गए, किए गए या बोले गए किसी कार्य, बात या शब्द के लिए हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यह ध्यान देने योग्य है कि अच्छा वकालत करना और कठोर भाषा का प्रयोग करना एक बात है, लेकिन बिना किसी उचित आधार के उसमें अनुचित न्यायिक हेतु के जोड़ देना बिल्कुल अलग बात है, और इसे विधी के अनुसार ही निपटाया जाना चाहिए। यह अस्वीकार्य है कि कोई भी न्यायपालिका तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि एक मज़बूत, सक्षम, सजग और स्वतंत्र संघ न हो। एक कमज़ोर, अक्षम और लापरवाह संघ, न्यायपालिका की त्रुटियों को सुधारने में लगभग अक्षम हो जाता है।

–

14. हालांकि यह याद रखना ज़रूरी है कि वकालत केवल एक व्यापार नहीं है, जो हर इच्छुक व्यक्ति के लिए खुला हो। यह एक व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार है, जो केवल एक अधिवक्ता को प्राप्त होता है —कि वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर सके और न्यायालय में उसकी ओर से पक्ष रख सके।

वकालत एक प्रतिष्ठित और विद्वतापूर्ण पेशा है, जिसमें विशेषाधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे से जुड़े होते हैं—एक पेशेवर अधिवकता का विशेषाधिकार उसका कर्तव्य भी होता है, और उसका कर्तव्य भी उसका विशेषाधिकार होता है। यदि हमारे देश में न्याय की गुणवत्ता संविधान द्वारा अपेक्षित उच्च स्तर की होनी है, तो यह बात अनिवार्य है।

15. हमारे व्यवस्था में एक अधिवक्ता न केवल विधिक कार्यवाही करता है, बल्कि भाषा के सही उपयोग की कला भी है। शब्द ही उसके उपकरण होते हैं, जिनसे वह काम करता है। इसलिए उसका पेशा शब्दों पर आधारित होता है। उसकी भाषा सटीक, गरिमामयी, सम्मानजनक और प्रभावशाली होनी चाहिए—ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनुचित क्रोध या अपमान उत्पन्न करे। अधिवक्ता को यह कर्तव्य और विशेषाधिकार सौंपा गया है कि वह अपने मुवक्किल के लिए कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करे। इस कारण, उसे उपेक्षित आदेशों और निर्णयों की आलोचना करने, अपने मुवक्किल की ओर से दलीलें प्रस्तुत करने और तर्क रखने की उपयुक्त स्वतंत्रता दी जाती है। अधिवक्ता द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों को उनके सभंव के कारण लिखित अपील या पुनर्विलोकन ज्ञापन की तुलना में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन यह विशेषाधिकार—जो उसका कर्तव्य भी है—इस सीमा तक विस्तृत नहीं है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों पर अनुचित या गैर नागरिक हितुक अभियोजित करे, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता था। अभिलेख के अनुसार सुतियुक रूपसे न्यायदित है, इसे इस प्रकार कायम रखा जाता है, तो तर्कों से अभिवर्चनो की न्यायलय की अवमानना माने जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अधिवक्ता, जो न्यायालय का एक अधिकारी होता है, का यह कर्तव्य है कि वह उन न्यायालयों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखे जहाँ वह विधि व्यासाय करता है, और उन न्यायालयों की भी, जिनके आदेशों की वह आलोचना करता है—अपने मुवक्किल के हित में और कानून के अनुसार। अधिवक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा मर्यादित और संयमित होनी चाहिए।

17. उपरोक्त संदर्भ में, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो कि **बनारसीलाल बनाम श्रीमती नीलम एवं अन्य, एआईआर 1969 दिल्ली 304** में दिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

> मज़बूत और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त की गई वकालत तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपेक्षित निर्णयों की अपील या पुनर्विलोकन में कठोर भाषा का

प्रयोग, अवमानना नहीं है।किन्तु, दृढ़ वकालत और तीखी भाषा का प्रयोग इस अर्थ में नहीं लिया जा सकता कि कोई अधिवक्ता न्यायालय को बदनाम करे अथवा ऐसे गैर न्यायिक अभियोगी करे, जिनका उस प्रकरण की परिस्थितियों में कोई उचित आधार नहीं है। यह असंदिग्ध है कि हमारी न्याय व्यवस्था, जब तक कि एक सशक्त, प्रभावशील, विवेकशील और स्वतंत्र संघ न हो, तब तक अपेक्षित दक्षता से कार्य नहीं कर सकती। एक कमजोर, अयोग्य और विवेकहीन संघ, न्यायालय की त्रुटियों को सुधारने का प्रभावी साधन नहीं हो सकता।विधिक व्यवसाय कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, जो उन सभी के लिए खुला हो जो इसमें भाग लेना चाहें। यह एक अधिवक्ता का व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार है कि वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करे और न्यायालय में उसकी ओर से पक्ष प्रस्तुत करे। वकालत एक उच्चकोटि का और विद्वतापूर्ण व्यवसाय है, जिसमें कर्तव्य और विशेषाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं: पेशेवर अधिवक्ता का विशेषाधिकार, उसका कर्तव्य भी होता है, और उसका कर्तव्य, उसका विशेषाधिकार भी होता है।यह अत्यंत आवश्यक है, यदि हमें अपने देश में न्याय की गुणवत्ता को उस उच्च स्तर तक लाना है, जैसा कि हमारे संविधान में परिकल्पित है।हमारी न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता केवल विधिक कार्यवाही नहीं करता हैं बल्कि यह भाषा के समुचित उपयोग की कला भी है। शब्द ही उसके कार्य के उपकरण हैं। इसलिए यह शब्दों से बंधा हुआ व्यवसाय है। अतः अधिवक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा सुस्पष्ट, गरिमामयी, सम्मानजनक एवं प्रासंगिक होनी चाहिए —— और अनावश्यक उत्तेजना या अपमान से मुक्त होनी चाहिए।कानून के अनुसार अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के दायित्व और विशेषाधिकार से युक्त अधिवक्ता को, विवादित निर्णयों की आलोचना करने, तर्क प्रस्तुत करने तथा अपने मुवक्किल की ओर से अभिव्यक्ति देने हेतु उपयुक्त स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त है। मौखिक बहस, अपनी प्रकृति में, लिखित अपील या पुनर्विलोकन ज्ञापन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की पात्र होती है।किन्तु यह विशेषाधिकार, जो अधिवक्ता का कर्तव्य भी है, उसे इस सीमा तक अनुमति नहीं देता कि वह अधीनस्थ न्यायालयों को कोई बाहरी, अवैधानिक उद्देश्य आरोपित करे —— विशेषतः जब ऐसे आरोप अभिलेख में युक्तिसंगत रूप से प्रमाणित न हों। यदि, तथापि, ऐसे आरोप प्रमाणित किए जा सकें, तो यह मानने में संकोच नहीं कि ऐसा कथन या निवेदन न्यायालय की अवमानना के दायरे में नहीं आएगा।चूंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है, अतः उसके लिए यह उसका कर्तव्य है कि वह उन न्यायालयों की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा करे, जिनमें वह विधी व्यास करता है —— और साथ ही उन न्यायालयों की भी, जिनके आदेशों की आलोचना करने का उसे पेशेवर विशेषाधिकार और कर्तव्य प्राप्त है, बशर्ते वह अपने मुवक्किल के प्रति निष्ठा के साथ, विधि के अनुसार ऐसा करे।न्यायिक प्रशासन को इस बात से क्षति नहीं पहुँचती कि किसी अधिवक्ता को उपेक्षित निर्णयों की निष्पक्ष, संयमित और सद्भावनापूर्ण आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।जब न्यायालयों की निष्पक्षता और आचरण की नींव पारंपरिक न्यायिक वस्तुनिष्ठता और दक्षता पर आधारित हो —— जैसा कि उनके प्रतिदिन के कार्य में सार्वजनिक दृष्टिगोचर होता है —— तो आदेशों की आलोचना में प्रयुक्त कठोर भाषा उनकी प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुँचा सकती। ऐसे न्यायालयों को इस विषय में अत्यधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. चूँकि अपील को वापस लिया जा रहा है, अतः उसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है और उपस्थित विद्वान सलाहकार ने यह स्पष्ट किया कि वे सभी न्यायालयों —— जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला न्यायाधीश की अदालतें सम्मिलित हैं —— के प्रति सम्मान रखते हैं, और अधिवक्त द्वार भी इस बात को पुनः दोहराया गया है। अतः, वापस लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है।हालाँकि, अधिवक्ताओं एवं अपीलकर्ताओं को भविष्य में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें भारतीय संघ परिषद द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए।

19. उपर्युक्त कथनों के आलोक में, अपील को वापस ली गई मानते हुए इसका निस्तारण किया जाता है।

20. प्रकरण समाप्त करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह केवल इस न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के संदर्भ में है, और इस न्यायालय ने किसी अन्य न्यायालय में लंबित किसी भी प्रकरण के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। यदि कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो उसे उसकी अपनी गुण दोष के आधार पर, विधि के अनुरूप, स्वतंत्र रूप से निर्णयन किया जाएगा।

सही/-

हस्ताक्षरित/-

(फ़ख़रुद्दीन)

न्यायाधीश

दिनांक **: 03/12/2004**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: Aastha Verma